

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं 0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1804 / xxv-12 (1-5) / 2008

देहरादून : दिनांक 08 मई, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक Amit Walia S/O R.S. Walia, R/O Hotel Shiva, Main Road, Vikas Nagar, Destt. Dehradun के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(B.S. Rawat)
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Tone

पृष्ठां संख्या 1804 / xxv-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- Amit Walia S/O R.S. Walia, R/O Hotel Shiva, Main Road, Vikas Nagar, Destt. Dehradun को सूचनार्थ प्रेषित।

(B.S. Rawat)
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
Tone

YTL - 1314/2017

To,
The P.I.Officer
Office of Chief Election Officer✓
Government of Uttarakhand
4-Subhash Road, North Block Secretariat
Dehradun-248001

Date : 10-04-2017

Sub : Seeking information under R.T.I. Act

Sir/Madam,

Kindly provide information regarding EVMs used in General Elections 2017 to Uttarakhand Assembly on following (please provide all information Assembly wise and Boothwise) –

- ✓ 1- Provide details of all EVMs that were used and reserved in Uttarakhand GE2017 alongwith their CU and BU numbers ,provide all information Assembly wise and Booth wise.

2- Provide Details of all such EVMs that were found defective during polls alongwith cause of defect ?

3- Provide details of defective EVMs alongwith CU and BU numbers.

4- Provide information on replaced EVMs that were used in lieu of defective EVMs with Cu and BU numbers booth wise and assemblywise.

5- Provide details of persons involved in maintenance of EVMs , technical and otherwise, also inform whether any agency other than Election Commission is involved for maintenance and technical trouble shoot of EVMs. Provide a list all such persons and companies/institutions.

6- Inform whether **source code of the EVMs** is known to Election Commission of India ? also inform what is the total memory capacity of the micro processor used in EVMs and that is the net memory left after the source code and voting program is installed in the EVM.

7- Inform what is the maximum capacity to record votes of EVMs used by Election Commission of India and whether same were used in conducting elections in Uttarakhand 2017 and also inform whether such capacity is fixed and standard for all EVMs .

8- What is the procedure when votes counted by EVM exceed votes polled on polling day ?

9- Provide detailed information of votes polled in uttarakhand assembly 2017 assembly wise and booth wise.

10- Please provide detaiis of votes counted for Uttarakhand Assembly Election 2017 assembly wise and booth wise.

Applicable Fee for information under R.T.I. Act is annexed herewith.
Postal Order No. 37F 803162 dated 10-04-2017

**Amit Walia S/o R.S.Walia
R/o Hotel Shiva
Main Road, Vikas Nagar
Distt Dehra Dun -248198
Mob : 7017878300, 9458153263**

- Copy retained

B S Rawat
12-4-2017
P.I.D

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001
फोन नं (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं (0135) - 2712014, 2713724

संख्या | 806 / xxv-12 (1-5) / 2008

देहरादून : दिनांक 08 मई, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
हरिद्वार।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री महेंद्र पाल, मकान नं 61, गली नं 1, अम्बेडकर नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्रों दिनांक 01 मई, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सूचनायें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
को।

पृष्ठ संख्या | 806 / xxv-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री सुनील कुमारं पुत्र श्री महेंद्र पाल, मकान नं 61, गली नं 1, अम्बेडकर नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
को।

सूचना के अधिकार 2005 के तहत सूचना के लिए

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी = उत्तराखण्ड मतदाता कार्ड विभग जनपद देहरादून

विभाग / कार्यालय = RTI भावन मसुरी रिंग रोड लडपुर जनपद देहरादून
पिन कोड - 248008

स्थान = देहरादून

1- अभ्यर्थी का नाम= सुनील कुमार

2- पूरा पता = सुनील कुमार पुत्र क्षी महेंद्र पाल, मकान नं 61, गली नं 0-1, अम्बेडकर नगर,
ज्वालापुर, हरिद्वार पीन कोड = 249407 (दूरभाष नं = 07060042170)

4- वांछित सूचना का उल्लेख

महोदय आप से निवेदन है आधर कार्ड संख्या 205944111318 जो कि सुशीला देवी पुत्री
मदान पाल एन-328 शिवालिक नगर फेस-3 बी.एच.ई.एल हरिद्वार उत्तराखण्ड 249403 के नाम
पर है जब की मतदान पर्ची संख्या TPU0048736 जो कि स्नेहा जयन्त पुत्री मदान पाल एन-
328 शिवालिक नगर फेस-3 बी.एच.ई.एल हरिद्वार उत्तराखण्ड 249403 के नाम पर है जब की
ये दोनों पेहचान पत्र वाली महीला एक ही है तो दो अलग - अलग ई.डी केसे बन सकती है ना
कानुनी तोर पर नाम बदला गया है इस महीला पर फर्जी मार्कशीट से चालक लाइसेन्स बनाने
पर RTO हरिद्वार केस चालाया जा राह है इविंग लिसेंस D.L No = UK 0820130102631 मे भी
इस का नाम स्नेहा जयन्त है

महोदय प्रार्थी आप से ये सूचना मंगता है कि

- 1)एक ही महीला की दो नाम अलग - अलग से मतदान पर्ची और आधर कार्ड केसे बन गये है
- 2)मतदान पर्ची और आधर कार्ड अगर बन भी गये तो दोनों मे से कौन सी पेहचान आसली है
व कौन सा नाम आसली है

3) मतदान पर्ची और आधर कार्ड मे से अगर कोई फर्जी पाया गया तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाही की जा सकती है इस बात की जान कारी दें।

आप की बड़ी कृपा होगी

5- अदा किये गये शुल्क का उल्लेख:

क) दस रुपये का शुल्क का भुगतान पोस्टल ऑर्डरसे कर रहा हूँ पोस्टल ऑर्डरसे संख्या 37F822435 दिनांक 01/05/2017 को परीत किया गया है।

6- मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। कृपया माँगी गयी जानकारी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं।

गुरु/कुमा० १००
०१/०५/२०१७
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि संलग्नक

- 1) आधर कार्ड संख्या 205944111318 की प्रतिलिपि
- 2) मतदान पर्ची संख्या TPU0048736 की प्रतिलिपि
- 3) फर्जी मार्कशीट से बने ड्रविंग लिसेंस D.L No = UK-0820130102631 RTO हरिद्वार का पत्र



भारत सरकार
Government of India

सुशीला देवी
Susheela Devi
जन्म तिथि / DOB : 20/11/1988
महिला / Female

2059 4411 1318



भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आवाज़ा: मदान पाल, एन-328,
शिवालिक नगर गोदा-3, थौएचएल,
हारिद्वार, गोदा, उत्तराखण्ड, 249403

Address:
D/O: Madan Pal, N-328, Shivalik
nagar Phase-3, BHEL, Hardwar,
Haridwar, Uttrakhand,
249403

2059 4411 1318

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

VOTER SLIP / मतदाता पर्ची

| | |
|---|--|
| No. and Name of AC : | 26 BHEL Ranipur 26 बीएचईएल रानीपुर |
| Part No : | 115 |
| Gram/Moholla : | Shivalik Nagar Cluster N शिवालिक नगर क्लस्टर एन |
| Voter Serial No : | 1193 |
| House No : | N 328 |
| Name : | Sneha Jayant स्नेहा जयन्त |
| Father's/Mother's/ Husband's Name : | Madan Pal मदन पाल |
| Sex : | F |
| Age : | 27 |
| EPIC No : | TPU0048736 |
| Polling Station No. and Name : | 115 BHEL R. N. 10 Mukhya Bhawan W., Chinmaya Degree College 115 बी. एच.ई.एल. क. न. 10 मुख्य भवन प. की ओर, चिन्मय डिग्री कालेज |
| <p>नोट 1 : यह वोटर स्लिप पहचान के लिए अनुमोदित अभिलेख है।</p> <p>नोट 2 : यह प्रामाणिक वोटर स्लिप पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमत्य होगी।</p> <p>नोट 3 : यदि इस वोटर स्लिप में मतदाता का फोटोग्राफ नहीं है या गलत विवरण अथवा फोटोग्राफ अंकित है, ऐसी स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।</p> <p>नोट 4 : वोटर स्लिप का अनधिकृत रूप से वितरण / वोटर स्लिप (निर्वाचन सामग्री) पर किसी भी प्रकार से अनधिकृत कद्दा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं आड़. पी. सी. के मुसंग नियमों का उल्लंघन माना जायेगा, जो कारायास या जुर्माना अथवा दोनों से टंडनीय हो सकता है।</p> <p>नोट 5 : मतदेय स्थल के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा(स्टिल/वीडियो/डिजिटल) और मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है।</p> | |

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

फोन नं 01334 239767 फैक्स नं 01334 239769

पत्रांक ६५।। / लाईसेन्स निरस्तीकरण / १६

दिनांक : 20.06.2016

सेवा में,

कु० सुशीला पुत्री श्री मदन पाल
निवासी एन 328 फेस 3 शिवालिक नगर
बीएचईएल हरिद्वार।

विषय :- चालक लाईसेन्स संख्या UK-0820130102631 के सम्बन्ध में।

आपको सूचित कराना है कि सुनील कुमार पुत्र श्री महेन्द्र पाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.06.16 के माध्यम से अवगत कराया है कि आपके द्वारा इस कार्यालय से अपना नाम परिवर्तन करके जारी लाईसेन्स संख्या यूके 0820130102631 दिनांक 03.04.2013 को प्राप्त किया गया है। जिसमें आपके द्वारा लाईसेन्स बनाते समय जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में संलग्न की गयी हाई स्कूल की मार्कशीट फर्जी है। जिसके फर्जी मार्कशीट होने की सूचना श्री सुनील कुमार ने आरटीआई के द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ने उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। कि आपके द्वारा वि. परस्थितियों में उक्त मार्कशीट का प्रयोग किया गया। विफलता पर यह समझा जायेगा कि उपरोक्त विषय में आपको कुछ नहीं कहना है, ओर आपके विरुद्ध नियमनुसार आवश्यक कार्यावाही कर दी जायेगी। जिसकी समस्त प्रकार की जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) हरिद्वार।

प्रतिलिपि :- श्री सुनील कुमार पुत्र श्री महेन्द्र पाल नि० 61 गली नं० 01 अम्बेडकर ज्वालापुर हरिद्वार को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) हरिद्वार

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

संख्या 1808 / xxv-12 (1-5) / 2008

फोन नं (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं (0135) - 2712014, 2713724

देहरादून : दिनांक 08 मई, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डा० प्रमोद गोल्डी, मुखानी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B-s Rawat
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
Rawat

पुस्तकालय 1808 / xxv-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- डा० प्रमोद गोल्डी, मुखानी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

B-s. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
Rawat

: Yield - 1014 | 2017

डा. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी

(एम.काम. स्वर्णपदक, पी.एच.डी. वाणिज्य, उत्तराखण्ड वैश्य गौरव/मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्षःप्रान्तीय नगर उद्योग व्यापार मण्डल, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) रीजन चैयरमेन/(चार्टर) अध्यक्ष-EX, RC, ZC-लायस क्लब हल्द्वानी ग्रीनसिटी, मण्डल 321 B1) महामंत्री : किराना व्यापारी संघ एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन हल्द्वानी, प्रदेश प्रवक्ता अग्रवाल महासभा उत्तराखण्ड संस्थापक अध्यक्ष / संरक्षक : साहित्य सृजन हल्द्वानी, Ex सदस्य पूर्वोत्तर रेलवे परामर्श दात्री समिति इज्जतनगर अध्यक्ष कादम्बिनी क्लब हल्द्वानी ग्रीनसिटी Ex उपाध्यक्ष/महामंत्री श्री अग्रवाल सभा हल्द्वानी (रज.)

डाक का पता - डॉ. प्रमोद गोल्डी, मुखानी, हल्द्वानी-जिला नैनीताल

मो. 9837046395, 9410170786, ऑफिस-05946-250074, 210420, 281222, 223146
 ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, 786, 420 अंक वाले भारतीय नोटों, देशी विदेशी Coins आदि के संग्रहकर्ता
 मृ.अ.अधि. पत्रांक..... ३८८ / २०१
 सेवा में, श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय
 दिनांक ०१.०४.२०१

विषय-सूचना अधिकार अधि. 2005 के अन्तर्गत संलग्न पोस्टल आ. रु. 10.00 सं. 37F- 83336 के आधार पर हम आपसे निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी प्रेषित करने का विनम्र अनुरोध करते हैं। कृपया उचित समयावधि के भीतर हमें पत्रोत्तर देने की कृपा करें। धन्यवाद!

জন্ম-স্থান মুক্তি ১

32169

(B) f_{n+1} follows by Frechet 3. $f_{n+1} \rightarrow \sqrt{n} \sqrt{f_n}$
 and $\frac{1}{f_{n+1}} \leq f_n \leq \frac{1}{f_{n-1}}$. $\liminf f_n + \text{for } n \in \mathbb{N}$

④ UCL for min(x_1) at $g_1(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ is True if True (≥ 0 for $x \in \mathbb{R}$)

Ans: $3\sqrt{x_{\min}} \rightarrow \overline{g_1(x)} \text{ over } + \overline{g_2(x)}$ min is True

Ans: $3a$ for $a \in \mathbb{R}$ is True if $\overline{g_1(x)}$ and $\overline{g_2(x)}$ are online

$\Rightarrow \overline{f(x_1)}$.

हमारा काम ही हमारी पहचान है।



Dr. Pramod Agarwal Goldiee
President : Lions Club Haldwani Greencity
District Chairman (Media) Lions Club International
Mobile : 9410170786

डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी

κ 0.10 rounds



लायन्स क्लब हल्द्वानी एवं लायन्स क्लब हल्द्वानी ग्रीनसिटी का नेत्रदान के प्रति जागरूकता अभियान

विशेष आभार: **गोल्डी** मसाले ग्रुप, कानपुर



वेणु नेत्र संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र

1/31 शेख सराय इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110017
टेलिफँसः 29250952 (आई बैंक), 29251155 56 | फैक्स: 29252370
ई-मेल: eyebank@venueyeinstitute.org



राष्ट्रहित/समाज हित के लिए नेत्रदान शपथ-पत्र
मैं / हम प्रथक रूप / संयुक्त रूप से यह घोषणा करता / करती हूँ / करते हैं
कि मेरी / हमारी मृत्यु के बाद मेरे / हमारे नेत्र राष्ट्र को दान कर दिये जायें।
मेरी / हमारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरी / हमारी मृत्यु के पश्चात्
डॉक्टर के द्वारा नेत्र निकाल लिए जायें। मेरे / हमारी दोनों आँखें,
नेत्र चिकित्सालय में उपयोग के लिए प्रयोग में लायी जायें।

यदि घोषण पत्र भरने वाले परिजनों की संख्या 3 से
कम है तो दो गवाहों के हस्ताक्षर करवायें, जिनमें से
एक परिवार का नजदीकी रिश्तेदार हो।

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. श्रीमान / श्रीमती | आयु..... हस्ताक्षर |
| 2. श्रीमान / श्रीमती | आयु..... हस्ताक्षर |
| 3. श्रीमान / श्रीमती | आयु..... हस्ताक्षर |
| पिनकोड | दूरभाष..... |
| दिनांक | |
| 2. श्रीमान/श्रीमती | |
| सम्बन्ध | |
| हस्ताक्षर | |
| पता | |

1. श्रीमान / श्रीमती
 2. श्रीमान / श्रीमती
 3. श्रीमान / श्रीमती
- पिनकोड दूरभाष.....
दिनांक

नेत्र दान महा दान



जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्र दान

नेत्रदान कीजिए ताकि आपकी आँखों से कोई दुनिया देख सके
करें और करवायें नेत्रदान, जो बन जाये किसी के लिए वरदान

1. नेत्रदान किसी व्यक्ति के मरणोपरांत परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया आँखों का दान, नेत्रदान (कार्निया प्रत्यारोपण के द्वारा) कहलाता है।
2. कार्निया क्या है? आँख की पुतली के ऊपर शीशों की तरह एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यह चोट लगने, संक्रमण या अन्य कारणवश किसी व्यक्ति का कार्निया धुंधला हो जाये तो इसे कार्नियल दूषित होना कहते हैं। इसका एक मात्र इलाज कार्निया प्रत्यारोपण है।
3. नेत्र दान किसी भी आयु में किया जा सकता है। नेत्रदान नजर का चश्मा पहनने वाले, जिन रोगियों ने मोतियाबिन्द/काला मोतियाबिन्द का ऑपरेशन करवाया हो, शुगर, उच्च/निम्न रक्तचाप, सांस फूलना, टी.बी.आइ के रोगी व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं।
4. मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवनकाल में नेत्रदान का घोषणा पत्र नहीं भरा है तो भी उनके परिवार वाले नेत्रदान करवा सकते हैं।
5. नेत्रदान मृत्यु होने के 6 से 8 घंटे के भीतर करवाया जा सकता है। नेत्रदान के लिए मृतक को कहीं ले जाना नहीं पड़ता है, लेकिन नेत्र बैंक टीम को शीघ्र सूचना देनी चाहिए, यह निःशुल्क सेवा है।
6. मृतक के शरीर से 10 सी.सी. रक्त भी जाँच के लिए लिया जाता है।
7. एक व्यक्ति की एक आँख से तीन व्यक्ति दूषित पा सकते हैं (अर्थात् 2 आँखों से 6 लोगों को नेत्र ज्योति)।
8. यदि आपके आस-पास/पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कृपया नेत्र बैंक टीम को सूचित करें। यह आवश्यक नहीं है कि मृतक ने नेत्रदान प्रपत्र भरा हो। नेत्र बैंक की टीम आपके बताये स्थान पर आकर परिवार को नेत्र दान करने के लिए प्रेरित करेगी।
9. घोषणा पत्र फार्म भरकर नेत्र बैंक टीम/निम्न सम्पर्क सूत्रों के पास जमा करवा दें, तथा इसकी चर्चा अपने परिवार से अवश्य करें जिससे कि आपके पारिवारिक जन आपकी इस अन्तिम इच्छा को पूरा करवा सकें।
10. नेत्रदान को अपने परिवार की परम्परा बनायें।
11. मृत व्यक्ति जहां पर लेटे हो वहाँ का कांपंखा बन्द कर दें और ए.सी./कूलर चला दें तथा मृतक के सिर के नीचे तकिया रख दें तथा मृतक की आँखों पर गीली रुई रखते रहें।

: सम्पर्क सूत्र :

डॉ. जी. एस. तितियाल
वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक
राजकीय मेडीकल कॉलेज, हल्द्वानी
9412905432

लॉयन हरजीत सिंह सच्चर
पूर्व मण्डलाधीश
मॉर्डन टैन्ट हाउस, हल्द्वानी
9897043674

कान्ता विनायक
हल्द्वानी
9927368643

लॉयन दीपक रावत (I.A.S.)
संरक्षक लॉयन्स क्लब हल्द्वानी ग्रीनसिटी
जिलाधिकारी नैनीताल
9458977777

लॉयन डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी
अध्यक्ष लॉयन्स क्लब हल्द्वानी ग्रीनसिटी
गोल्डी शोरूम, नैनीताल रोड, हल्द्वानी
9410170786